शीर्ष प्राथमिकता

संख्य- 2/518 /सत्तर-2-2014- 16(157)/2014

प्रेषक,

मुरली मनोहर लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 257 /रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 25-8-14

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक: 20 अगस्त, 2014

विषय: राजकीय, सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित महिला महाविद्यालयों के मुख्यद्वार तथा परिसर में सर्विलांस रिकार्डिंग कैमरे लगाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय, सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित महिला महाविद्यालयों में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार/ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने एवं अवांछनीय तत्वो पर दृष्टि रखने के लिए राजकीय, सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित महिला महाविद्यालयों के मुख्यद्वार एवं परिसर के भीतर प्रमुख स्थलों यथा हास्टल आदि पर सर्विलांस रिकार्डिंग कैमरे लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अत: ऐसे महिला महाविद्यालयों के मुख्यद्वार, महिला छात्रावासों के मुख्यद्वार एवं परिसर के भीतर प्रमुख स्थलों पर सर्विलांस रिकार्डिंग कैमरे एक माह के अन्दर लगवाये जाने तथा उनके डाटा 15 दिन तक सुरक्षित रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव

संख्या-518 (1)/सत्तर-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ऐसे सभी महिला महाविद्यालयों के मुख्य द्वार व अन्य प्रमुख स्थलों पर सर्विलांस रिकार्डिंग कैमरे लगाये जाने संबंधी कार्य का अनुश्रवण करें तथा माह के अंत में निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करायें।
(2) निदेशक, सूचना विभाग।
(3) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।

संजय
25/08/14